

4

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-56/2019-20

इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा, बी०एस०सिटी, बोकारो

बनाम्

Shivnath Prasad Singh & others

-: आदेश :-

19.02.2021

प्राधिकृत पदाधिकारी, इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा, बी०एस०सिटी बोकारो द्वारा धारा 14 (1 and 2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत विपक्षी श्री शिवनाथ प्रसाद सिंह एवं श्री छोटे लाल सिंह दोनों पिता स्व० आनंद लाल सिंह, रामनगर कॉलोनी, चास बोकारो के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप न्यायालय में उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ किया गया एवं सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा, बी०एस०सिटी, बोकारो की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई और अपना पक्ष रखा। उनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (Khata No. 428 Plot no. 6627 Mouza Chas (30) Thana Chas, Anchal Chas Bokaro, Area-2.87 dec. pertaining to Regd. Sale deed no. 1179 dated 20.03.98 executed in favour of Shivnath Prasad Singh and Chhote Lal Singh at DSR Bokaro) को गिरवी रखते हुए बैंक से रुपये 15,00,000.00 (पन्द्रह लाख) ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्ता का खाता दिनांक-29.12.2018 को ही एन०पी०ए० हो गया है। वर्तमान में ऋणकर्ता पर कुल रुपये 11,65,403/- एवं ब्याज के साथ अन्य शुल्क का बकाया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया। अतः उन्होंने SARFAESI ACT-2002 की धारा 14 (1 and 2) के तहत विपक्षी की सम्पत्ति पर

दखल-कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा पुलिस बल की माँग की गई है।

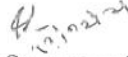
विपक्षी अनुपस्थित। पूर्व में उनके द्वारा एक आवेदन पत्र देकर सूचित किया गया है कि उन्होंने होम लोन के विरुद्ध बैंक से लोन लिया गया था। वर्तमान में उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वह लोन को चुकाने में असमर्थ है। यदि बैंक उनकी जमीन/संपत्ति को नीलाम करती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वह वाद को समाप्त करना चाहते हैं।

वर्णित परिस्थिति में प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल आवेदन एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के आधार पर SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा, बी0एस0सिटी, बोकारो द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापति एवं संशोधित।


उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।


उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।